न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./1517/2002/भरतपुर

जगराम पुत्र रघुवीर जाति गूजर निवासी नगलामाड मजरा सालावाद तथाकथित हाल आबाद ग्राम मडोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

............अपीलार्थी

बनाम

1– लक्ष्मन)
2– पूरनम) पिसरान दौजीराम
3– रामबाबू)
4– सन्ता पुत्री दोजीराम
5– राममाया पुत्री भगवानकौर
कौम गूजर निवासीगण मडोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर
6– राजस्थान सरकार जरिए जिला कलक्टर भरतपुर।
7– तहसीलदार रूपवास
8– मांगेलाल पुत्र नत्थीलाल कौम गूजर निवासी मडोली तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

...........प्रत्यर्थीगण

खण्ड–पीठ
श्री सूरज भान जैमन, सदस्य
श्री मोहन लाल नेहरा, सदस्य

उपस्थित :
श्री खड़गसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री ओंकारलाल दवे अधिवक्ता प्रत्यर्थी।

निर्णय दिनांकः— 09—10—2018

यह द्वितीय अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 224 के अन्तर्गत न्यायालय भू—प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर द्वारा प्रकरण संख्या 45/95 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—03—2002 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2— प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय सहायक कलक्टर (प्रथम) भरतपुर के समक्ष एक वाद इस्तकरारहक व हुक्म इम्तनाई दवामी अन्तर्गत धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 प्रत्यर्थीगण/प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय का पेश किया वादी जगराम ग्राम मडोली तहसील रूपवास की आराजी खसरा नंबर 89 रकबा 7 बीघा 16 बिस्वा, 97 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा व 98 रकबा 3 बीघा 6 बिस्वा में से 2 बीघा का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 दौजीराम पुत्र रतन सिंह व मु0 भगवान कौर बेवा कैलाश सिंह, का खातेदार काश्तकार है। इसी तरह इसी ग्राम की आराजी खसरा नंबर 123 रकबा 13 बीघा 4 बिस्वा, 124 रकबा 2 बीघा 1 बिस्वा में से 5 बीघा भूमि प्रतिवादी दौजीराम व भगवानकौर के हिस्से का वादी जगराम खातेदार काश्तकार है। ग्राम मडोली के ही खसरा नंबर 332 रकबा 15 बीघा 8 बिस्वा भूमि प्रतिवादी लक्ष्मन की आराजी का वादी जगराम ही न्यारानूर रूप में खातेदार काश्तकार काबिज चला आ रहा है। संवत 2030 में रबी में मटर बोई थी व खरीफ में अरहर बोई थी तथा प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 का इस आराजी से कभी कोई सम्बन्ध नहीं रहा है। नत्थीलाल खसरा नंबर 89, 97, 98 में से 1/4 हिस्से का व खसरा नंबर 123 व 124 में से निस्फ का नत्थी खातेदार काश्तकार था तथा उसके मरने के पश्चात् उसका लड़का मांगीलाल खातेदार काश्तकार है। इसलिए प्रतिवादीगण सुक्खी व मांगीलाल (प्रतिवादी संख्या— 6 व 7) को तरतीबी प्रतिवादीगण बनाया गया। वादी जगराम ने बतलाया कि इस सब के बावजूद प्रतिवादीगण दौजी, भगवान कौर व लक्ष्मन के नाम का गलत इन्दाज हो रहा है जो खिलाफ मौका है। प्रतिवादीगण ने विवादित आराजी पर कभी भी काश्त नहीं की तथा वादी लगातार कई वर्षो से आराजी मुतनाजा में काश्त करता चला आ रहा है और लगान अदा करता चला आरहा है। प्रतिवादीगण सरगना व्यक्ति है। उन्होंने

दिनांक 10—03—1973 को कहा है कि हमें अभी मालूम हुआ है कि इस आराजी का हमारे नाम इन्द्राज चला आ रहा है। इसलिए अब रबी की फसल को बोने नहीं देंगे तथा खरीफ की फसल को जबरन काटकर ले जावेंगे और आराजी मुंतकिल कर देंगे। इसमें वादी को अपने हकूकों पर जवाब आने का अन्देशा है। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 का वादी से राजीनामा भी हो चुका था जो बहस के गौर की स्टेज पर चल रहा था परन्तु आर.आर.डी. 1973 पेज 500 के अनुसार धारा 80 व्यवहार प्रक्रिया संहिता का नोटिस देना आवश्यक था जो पहले नहीं दिया गया था इसलिए दिनांक 16—02—1974 को दावा हाजा को वापिस लेने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत स्वीकृति अदालत होने पर नोटिस राजस्थान सरकार को दिनांक 19—02—74 को दिया जा चुका है जिसकी दो माह की अवधि पूरी हो चुकी है और राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, भरतपुर को नाटिस प्राप्त हो चुका है तथा अब दुबारा दावा अदालत हाजा में प्रस्तुत किया जा रहा है। अतः घोषित किया जावे कि वादी आराजी खसरा नंबर 89 रकबा 7.16, 97 रकबा 1.2, 98 रकबा 3.6 में से 2 बीघा का प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्सा पर खातेदार काश्तकार तथा इसी प्रकार वादी खसरा नंबर 123 रकबा 13.4, 124 रकबा 2.1 में से 5 बीघा भूमि प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के हिस्सा का खातेदार काश्तकार और खसरा नंबर 323 रकबा 15.8 पर वादी को , प्रतिवादी संख्या 3 के सालिम हिस्से का न्यारानूर खातेदार घोषित किया जावे, साथ ही प्रतिवादीगण को हुक्म इम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जावे कि वे आराजी मुतदाविया में मदाखलत व मजाहमत न करें। प्रतिवादी संख्या 1, 2 व 3 द्वारा वादी के कथनों से इन्कार कर अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया। परीक्षण न्यायालय द्वारा उभय पक्षों की बहस सुनकर, दो तनकीयात कायम की जाकर अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 30—11—1995 द्वारा दावा वादी/अपीलार्थी जगराम डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से असंतुष्ट होकर प्रतिवादी लक्ष्मन, पूरन, रामबाबू, सन्ता, राममाया ने विरूद्ध वादी जगराम, राजस्थान सरकार, तहसीलदार, रूपवास व मांगीलाल के विरूद्ध न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भरतपुर के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय व डिक्री 21—03—2002 द्वारा अपील स्वीकार कर सहायक कलक्टर (प्रथम), भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 30—11—95 को निरस्त कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक

21–03–2002 से व्यथित होकर अपीलार्थी/वादी जगराम ने यह द्वितीय अपील इस न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3– हमनें विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी।

4– विद्वान अधिवक्ता अपीलार्थी/वादी का कथन है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यथी/प्रतिवादी लक्ष्मण आदि द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने एवं परीक्षण न्यायालय द्वारा विधिवत पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त करने में भारी कानूनी भूल की है। उनका तर्क है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष वादी जगराम द्वारा लिखित बहस पेश की गई थी, जिस पर कोई गौर नहीं फरमाया गया, राजीनामा के बाद कोई अन्य बात साबित करने की जरूरत ही नहीं रहती, न ऐसे निर्णय व डिक्री के विरूद्ध अपील सक्षम थी, एस्टोपल के सिद्धान्त से भी प्रतिवादी बंधा है, राजीनामा नियमानुसार साबित किया है, राजस्व मण्डल ने भी अपने निर्णय दिनांक 13–12–94 में राजीनामा को सही माना है, जो रेसज्यूडीकेटा का असर रखता है। आदेश 23 नियम 3 व्यवहार प्रक्रिया संहिता की शर्तें पूर्णतया साबित है। अतः परीक्षण न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री में कोई अनियमितता कारित नहीं की गई है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने प्रत्यर्थी के पक्ष में अपील स्वीकार कर एक नया केस बनाया है। इसके अलावा कब्जे के संबंध में साक्ष्य का विस्तार से उल्लेख सहायक कलक्टर ने अपने निर्णय में तनकी संख्या–1 में उल्लेखित किया है, जिसका प्रतिवादी दौजीराम द्वारा अपने जीवनकाल में विरोध नहीं किया गया। दौजीराम के वारिसान अपने पिता द्वारा किये गये राजीनामा से बंधे हैं । उनका यह भी कथन है कि प्रकरण में जहां राजीनामा हो जाता है वहां निर्णय का दायरा सीमित हो जाता है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय के समक्ष जो आपत्तियां उठाई गई हैं, वे मान्य नहीं है। इसलिए राजस्व अपील प्राधिकारी द्वारा पारित निर्णय विधि विपरीत है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय अपास्त किया जावे तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को यथावत रखा जावे।

5– विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में कथन किया कि पूर्व के किसी दावे में प्रतिवादीगण ने वादी जगराम से कोई राजीनामा नहीं किया था।

वादी का विवादित आराजी से कोई संबंध व सरोकार नहीं था। विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने यह तर्क भी दिया कि परीक्षण न्यायालय द्वारा राजीनामा का प्रमाण लेकर गलत तौरपर दावा डिक्री किया था ,जिस दावे में राजीनामा पेश होने की बात की गयी है, वह दावा ही डिफैक्टिव था तथा राजीनामा पर प्रतिवादीगण के हस्ताक्षर भी नही है। आदेश 22 नियम 3 सीपीसी के अन्तर्गत ऐसा राजीनामा विधि सम्मत भी नही होता है। विद्वान अधिवक्ता ने यह तर्क भी दिया कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उक्त आधार पर अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय को अपास्त करने की कोई कानूनी त्रुटि नही की है । विद्वान अधिवक्ता ने तर्को के समर्थन में 1988 आरआरडी पेज 1143, 2011 आरबीजे पेज 387,1987 एआईआर (एससी)पेज 94 का उदाहरण दिया एवं अपील खारिज करने की प्रार्थना की।

6— हमने उभयपक्ष द्वारा दिए गये तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया जिससे हम यह पाते है कि वादीगण अपीलांट ने विवादित खसरा नम्बरान पर स्वयं का कब्जा काश्त होना कथित करते हुए प्रतिवादीगण का नाम गलत रुप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के अभिवचन लेते हुए घोषणा अत्यादि का दावा दायर किया है एवं पूर्व में वर्तमान प्रतिवादीगण के विरुद्ध प्रस्तुत दावा संख्या 230/1973 में वर्तमान प्रतिवादीगण द्वारा वादी के पक्ष में दिनांक 27—3—73 को राजीनामा होने का अभिवचन दावे की मद नम्बर—5 में लिया है। प्रतिवादीगण ने वर्तमान जवाब दावे मे राजीनामा होना अस्वीकार कर वादी अपीलांट के कब्जे व दावे के तथ्यों को अस्वीकार किया है। परीक्षण न्यायालय द्वारा तनकी 1 व 2 वादी अपीलांट के पक्ष में उक्त राजीनामा को आधार बना कर कब्जा काश्त मानते हुए दी गयी फाइण्डिंग को विद्वान अपीलीय न्यायालय ने उनके निर्णय दिनांक 21—3—2002 से इस आधार पर अपास्त किया है कि वादीगण अपीलांट जगराम का कब्जा राजस्व रिकार्ड से तो प्रमाणित है नही एवं मौखिक साक्ष्य पर 1988 आरआरडी पेज 364 पर मुद्रित नजीर में प्रतिपादित सिद्धान्त की रोशनी में विश्वास नही किया जा सकता है। एडवर्ष पजेशन की अवधारणा भी इसलिए अपीलीय न्यायालय ने अमान्य की है कि वादी अपीलांट ने दावे में ऐसे अभिवचन किए ही नही है तथा 1988 आरआरडी पेज 183 पर मुद्रित नजीर का उादाहरण भी सार्थक माना है।

7— विद्वान अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय द्वारा किया गया विश्लेषण कि कब्जा काश्त बावत वादीगण का अभिलेखीय साक्ष्य का आधार नही होने एवं राजस्व अभिलेख जमाबन्दी में प्रतिवादीगण रेस्पोडेंट के इन्द्राजात को गलत होने का कोई साक्ष्य नही होने से अधीनस्थ परीक्षण न्यायालय द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 के प्रकरण के निर्णय में दी गयी फाइण्डिंग दावे के अभिवचनों को प्रमाणित करने में सहायक नही माने जा सकते ,उचित व कानून सम्मत है तथा मुखालफाना कब्जा से खातेदारी अधिकार उत्पन्न भी नही होते है। अतः विद्वान अधिवक्ता प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत नजीरों की रोशनी में विद्वान अपीलीय न्यायालय द्वारा दी गयी फाइण्डिंग कानून सम्मत होने से अपील में उठाये गये उज्रात सारहीन व आधार हीन है। फलस्वरुप हस्तगत द्वितीय अपील खारिज किये जाने योग्य है।

8— अतः उपरोक्त विवेचन के प्रकाश में यह द्वितीय अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 21—3—2002 यथावत रखे जाते है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहन लाल नेहरा)
सदस्य

(सूरज भान जैमन)
सदस्य